

	ii	कर से अप्रभार्य आय (विदेशी कंपनी के लिए)										
24	स्तंभ 1 में वर्णित पहचान के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (दूसरी ओर अनुदेश देखें)	दस्तावेज कूट	दस्तावेज पहचान संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता								
25	स्तंभ 4 से 13 में वर्णित पते के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (दूसरी ओर अनुदेश देखें)	दस्तावेज कूट	दस्तावेज पहचान संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता								

सत्यापन

मैं, _____, श्री _____ का पुत्र/पुत्री/पत्नी** सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन और इसके साथ संलग्न दस्तावेजों, यदि कोई हो, में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और उसमें दर्शाए गए विवरण सही हैं।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे/आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है, और

- मेरी/हमारी/आवेदक की अनुमानित कुल आय (जिसके अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, अवयस्क बालक, आदि की आय भी है) की गणना उस वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार की गई है जिसमें उपरोक्त संव्यवहार कर योग्य अधिकतम रकम से कम होगा, या
- आवेदक एक विदेशी कंपनी है जो नियम 114ख के तीसरे परन्तुक के अधीन आती है और उसकी भारत में कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं यह आवेदन _____ के लिए _____ (पदनाम) की हैसियत से कर रहा हूँ और मैं यह आवेदन करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। [यदि लागू हो]

आज, _____ 20 _____ को सत्यापित किया गया।

स्थान _____

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

टिप्पण:

1. घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को समाधान कर लेना चाहिए कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी सही है, सत्य है और सभी पहलुओं में पूर्ण। यदि घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध होने पर,--

- यदि अपवंचन किया गया कर पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास से जो छह मास से कम नहीं होगा किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना से;
- किसी अन्य मामले में कठोर कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगा किंतु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति वहां घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां,-

- मद 23ख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, जब तक कि पैस के लिए आवेदन नहीं किया जाता है और स्तंभ 22 सम्यक रूप से विधिवत नहीं भरा जाता है;
- किसी विदेशी कंपनी की दशा में मद 23ग(i) में दर्शाई गई आय, कर से प्रभार्य है।

3. दस्तावेज़ जो पहचान और पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं (यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और मद 21 भरा गया है तो आवश्यक नहीं है):-

क्र.सं.	दस्तावेज़ की प्रकृति	दस्तावेज़ कूट	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण
क. व्यक्तियों और हिन्दु कुटुंब के लिए				
1.	आधार कार्ड	01	हां	हां
2.	बैंक/डाकघर की पासबुक, जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	02	हां	हां
3.	निर्वाचक पहचान पत्र	03	हां	हां
4.	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति का फोटो हो।	04	हां	हां
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हां	हां
6.	पासपोर्ट	06	हां	हां
7.	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हां	हां
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) जॉब कार्ड	08	हां	हां
9.	जाति या अधिवासी प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	09	हां	हां
10.	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध क के अनुसार संसद सदस्य या विधायक या नगर निगम के पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाणपत्र	10	हां	हां
11.	प्ररूप 49क में उल्लिखित उपाबंध क के अनुसार नियोजक से प्रमाणपत्र	11	हां	हां
12.	किसान पासबुक जिसमें फोटो हो	12	हां	नहीं
13.	हथियार लाइसेंस	13	हां	नहीं
14.	केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना/पूर्व सैनिक अभिदाय स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	हां	नहीं
15.	सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हां	नहीं
16.	विजली बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	16	नहीं	हां
17.	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	17	नहीं	हां
18.	पानी का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	18	नहीं	हां
19.	गैस ग्राहक कार्ड/बुक या गैस पाईप का बिल बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	19	नहीं	हां
20.	बैंक खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	20	नहीं	हां
21.	क्रेडिट कार्ड विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	21	नहीं	हां
22.	डिपॉजिटरी खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	22	नहीं	हां
23.	संपत्ति रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़	23	नहीं	हां
24.	सरकारी आवास का आबंटन पत्र	24	नहीं	हां
25.	पति-पत्नी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हां
26.	संपत्ति कर संदाय रसीद (एक साल से पुराना नहीं)	26	नहीं	हां
ख. व्यक्तियों के संगम (न्यास)				
	न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र	27	हां	हां
ग. व्यक्तियों के संगम (न्यास के अतिरिक्त) या व्यष्टिकों के निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति				

	समझौते की प्रति या चैरिटी आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग से व्यक्ति का स्थापना पहचान और पते का कोई अन्य दस्तावेज	28	हां	हां
घ. एक विदेशी कंपनी के लिए				
1.	उस देश में, जहां आवेदक स्थित है, जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण या निगमन प्रमाणपत्र की प्रति, जो आईएफएससी बैंककारी इकाई के प्राधिकृत पदधारियों द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित	29	हां	हां
2.	उस देश में, जहां आवेदक स्थित है, जारी की गई कर पहचान संख्या की प्रति, जो आईएफएससी बैंकिंग इकाई के प्राधिकृत पदधारियों द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित	30	हां	हां (यदि पता उसी में उल्लिखित है)

4. किसी अवयस्क के नाम पर संव्यवहार की दशा में, ऐसे अवयस्क के माता-पिता/संरक्षकों में से किसी की पहचान और पते के सबूत के रूप में उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी को भी अवयस्क की पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा, और घोषणा माता-पिता/संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।

5. हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के लिए हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के कर्ता के नाम पर कोई भी दस्तावेज आवश्यक है।

6. संव्यवहार एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की दशा में, कुल व्यक्तियों की संख्या क्रमांक 19 में उल्लिखित की जानी चाहिए और संव्यवहार की कुल रकम क्र. सं. 17 में भरी जानी चाहिए।

स्तंभ 23 ख में प्राकलित कुल रकम किसी व्यक्ति को प्रभार्य कर की अधिकतम रकम से अधिक है, व्यक्ति को पैस के लिए आवेदन करना चाहिए, मद 22 भरें और आवेदन के जमा किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करें।]